राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांकः–प. 7(1)कार्मिक / क–2 / 99 जयपुर, दिनांकः– 4.03.2014

1– समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / विशिष्ठ शासन सचिव
2– समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स सहित) ।

परिपत्र

विषयः–अ.जा. / अ.ज.जा. / अ.पि.व / वि.पि.व. के ऐसे अभ्यर्थियों के साथ जिन्हें उनकी योग्यता के आधार पर अनारक्षित प्रवर्ग की रिक्तियों के प्रति चयनित किया गया है, व्यवहार के बारे में।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल स्पेशल अपील (याचिका) संख्या 769 / 2012–राजेश सिंह एवं अन्य बनाम राज्य सरकार में पारित निर्णय दिनांक 16.01.2014 की अनुपालना में इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 11.05.11 एवं 12.09.12 का अतिक्रमण करते हुए निम्न निर्देश जारी किये जाते हैंः–

(क) यदि किसी अनुसूचित जाति / अनु0 जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी ने उन प्रवर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों को उपलब्ध आयु या फीस संबंधी रियायतों में से किसी का भी लाभ उठाया है और वह अनारक्षित वर्ग के ऐसे अन्तिम अभ्यर्थी से, जो चयनित हुआ है, से अधिक अंक प्राप्त करता है, तो भी अ.जा. / अ.ज.जा. / अ.पि.व / वि.पि.व. के ऐसे अभ्यर्थी का चयन यथास्थिति अ.जा. / अ.ज.जा. / अ.पि.व / वि.पि.व. के लिए आरक्षित रिक्तियों के प्रति नहीं किया जाकर अनारक्षित प्रवर्ग की रिक्तियों के प्रति किया जावेगा किंतु यदि अ.जा. / अ.ज.जा. / अ.पि.व / वि.पि.व. के अभ्यर्थियों ने संबंधित सेवा नियमों के अन्तर्गत नियुक्ति हेतु चयन प्रकिया के दौरान आयु एवं फीस की रियायतो के अतिरिक्त किसी अन्य रियायत का लाभ उठाया हैं, तो ऐसे अभ्यर्थियों का चयन अनारक्षित वर्ग की रिक्तियों के प्रति नहीं किया जाकर अ.जा. / अ.ज.जा. / अ.पि.व / वि.पि.व. के लिए आरक्षित रिक्तियों के प्रति किया जायेगा।

(ख) यदि अ.जा. / अ.ज.जा. का कोई अभ्यर्थी इन प्रवर्गो के अभ्यर्थियों को उपलब्ध विशेष रियायतों में से किसी का भी लाभ उठाये या बिना लाभ उठाये अपनी योग्यता के आधार पर अनारक्षित प्रवर्ग की रिक्तियों के प्रति चयनित हो जाता है तो अ.जा. / अ.ज.जा. का ऐसा अभ्यर्थी उत्तरभावी पदोन्नतियों एवं समस्त सेवा संबंधी मामलों के लिए, यथा स्थिति, अ.जा. / अ.ज.जा. के अभ्यर्थी के रूप में माना जायेगा।

(ग) यदि अ.पि.व. / वि.पि.व. / अ.जा. / अ.ज.जा. प्रवर्ग के ऐसे अभ्यर्थियों की जो अपनी योग्यता के आधार पर अनारक्षित प्रवर्ग की रिक्तियों के प्रति चयनित हो जाते है, ऐसे अभ्यर्थी की गणना उस विशिष्ठ पद / संवर्ग में इन प्रवर्गो के अभ्यथियों द्वारा धारित पदों की कुल संख्या अवधारित करतें समय इन प्रवर्गो के लिए आरक्षित पदो के प्रति नहीं की जायेगी।

D:\Ganesh Ji\2012\notification

अतः समस्त नियुक्ति प्राधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि रिक्त पदों को भरने हेतु विज्ञप्ति जारी करते समय उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें और ऐसे प्रकरण जो उक्त स्पष्टीकरण से पूर्व निस्तारित हो चुके हैं, पुनः नहीं खोले जायेंगे ।

4/3/14
(आलोक गुप्ता)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सचिव –।, मुख्यमंत्री ।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव।
3. सचिव, राज0 लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. पंजीयक, राज0 सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर
5. रक्षित पत्रावली।

सयुंक्त शासन सचिव

Q/2014

D:\Ganesh Ji\2012\notification